न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 185/2015

1 शक्तिसिंह पुत्र इन्द्रसिंह।
2 हिम्मतसिंह पुत्र इन्द्रसिंह अवयस्क जरिये माता प्राकृतिक संरक्षिका विनोद कंवर पत्नी इन्द्रसिंह।
3 विनोद कंवर पत्नी इन्द्रसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण पनलावा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 उदयसिंह पुत्र माघसिंह।
2 भगवानसिंह पुत्र उदयसिंह।
3 सायर कंवर पुत्री उदयसिंह।
4 रूपकंवर पुत्री उदयसिंह।
5 उम्मेद कंवर पुत्री उदयसिंह।
6 पिंकी कंवर पुत्री उदयसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण पनलावा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
7 प्रबन्धक ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
8 उप पंजियक लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
9 पटवारी हल्का पालड़ी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
10 तहसीलदार महोदय लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांकित 30.07.2015
बउनवानी शक्तिसिंह बनाम उदयसिंह आदि न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ मुकदमा नम्बर 134/14
पीठासीन अधिकारी महावीर प्रसाद नायक आर.ए.एस

उपस्थिति :

1. श्री फुलचन्द थालौड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री महेश कुमार जांगिड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री विरेन्द्र सिंह शेखावत, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 01.10.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 134/2014 में पारित निर्णय दिनांक 30.07.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट ने रेस्पोडेंट के विरूद्व एक दावा बाबत उद्घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा विचारण न्यायालय के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम पनलावा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर की तन में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 96 रकबा 8.13 हैक्टेयर में से 4.16 हैक्टेयर उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 की संयुक्त पैत्रिक कृषि भूमि है। जिसकी खातेदारी पूर्व में पूर्वज माघजी के नाम थी, माघजी के फौत होने पर 1/2 हिस्सा उदयसिंह व 1/2 हिस्सा मोबसिंह के खातेदारी में दर्ज हो गयी। रेस्पोडेंट/प्रतिवादी संख्या 1 उदयसिंह के खातेदारी में दर्ज 4.16 हैक्टेयर रेस्पोडेंट/प्रतिवादी संख्या 2 के दो पुत्र कमशः इन्द्रसिंह व भगवानसिंह व चार पुत्रियां हुयी। जिनमें इन्द्रसिंह का

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

देहान्त हो गया। इसलिए अपीलांट का हिस्सा 1/7, रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 6 का प्रत्येक का 1/7 हक हिस्सा भूमि भाग है। इस प्रकार उक्त भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण को खातेदार काश्तकार उदघोषित किये जाने की सहायता चाही गयी थी। जिस पर विचारण न्यायालय ने दावा दर्ज कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता हाजिर आया तथा प्रतिवादी संख्या 3 व 6 विधिवत तामील बावजूद अनुपस्थित रहे तो उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 पुनः तलबी में था। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने न्यायालय में उपस्थित होने के पश्चात विचारण न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का पेश किया। जिसके जवाब व तलबी में पत्रावली दिनांकित 30.07.2015 नियत थी। मगर विचारण न्यायालय ने दिनांकित 30.07.2015 को निर्णय व डिक्री पारित कर वादीगण का वाद खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी आदेश 7 नियम 11 के तहत खारिज किया है जबकि विचारण न्यायालय में वादीगण अपीलांट द्वारा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पैतृक भूमि में उदघोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया था। विधि अनुसार उदघोषणा का वाद राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। आदेश 7 नियम 11 के तहत वाद विधि द्वारा वर्जित होने पर ही खारिज किया जा सकता है। प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित होने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर नही है। विचारण न्यायालय में पत्रावली में दिनांक 14.07.2015 की आदेशिका में यह अंकित किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 प्रस्तुत किया है। पत्रावली वास्ते प्रतिवादी संख्या 4,5 की तलबी व जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 16.07.2015 को पेश हो। विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया अनुसार तलबी पूर्ण किये बिना, आदेश 7 नियम 11 का जवाब प्राप्त किये बिना

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

वादीगण अपीलांट्स को नोटिस दिये बिना पत्रावली लोक अदालत में रखकर विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है ऐसा निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है। अत अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने आवेदन में वाद का ऐतराज करते हुए उनके जीवनकाल में हक हिस्सा नही होने का आधार लेकर वाद खारिज करने का अनुरोध किया है। मुताबिक नकल जमाबंदी वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अन्य खातेदारान के साथ दर्ज है प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी संख्या 1 व 2 का दादा है, जो जीवित है। वादीगण की ओर से अन्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही की गई है। आराजी सह खातेदारी में दर्ज है। पैतृक सम्पत्ति मे पिता/दादा के जीवनकाल मे पुत्र के पक्ष में भूमि के नोशनल हिस्से की खातेदारी उद्घोषणा को स्वीकार नही किया गया है। विचारण न्यायालय ने विधिक तथ्यों का विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी आदेश 7 नियम 11 के तहत खारिज किया है जबकि विचारण न्यायालय में वादीगण अपीलांट द्वारा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पैतृक भूमि में उदघोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया था। विधि अनुसार उदघोषणा का वाद राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। आदेश 7 नियम 11 के तहत वाद विधि द्वारा वर्जित होने पर ही खारिज किया जा सकता है। प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित होने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर नही है। विचारण न्यायालय में पत्रावली में दिनांक 14.07.2015 की आदेशिका में यह अंकित किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 प्रस्तुत किया है। पत्रावली वास्ते प्रतिवादी संख्या 4,5 की तलबी व जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

16.07.2015 को पेश हो। विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया अनुसार तलबी पूर्ण किये बिना, आदेश 7 नियम 11 का जवाब प्राप्त किये बिना वादीगण अपीलांट्स को नोटिस दिये बिना पत्रावली लोक अदालत में रखकर विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है ऐसा निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि विधिक प्रकिया की पालना कर, पक्षकारान की तलबी पूर्ण कर, जवाब दावा प्राप्त कर, तनकीयात कायम कर उभयपक्ष की साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.10.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 01.10.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर